महत्वपूर्ण एवं खास

भोजराज राठिया को भृत्य पद पर मिली अनुकम्पा नियुक्ति

रायगढ़। शासकीय सेवकों की असामायिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को नौकरी में प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर से जारी आदेश के तहत आवेदक भोजराज राठिया आ.स्व.श्री दशाराम राठिया, निवासी-ग्राम हरदीझरिया, पोस्ट डोंगीतराई, तहसील रायगढ़ द्वारा भृत्य के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दी गई लिखित सहमति के आधार पर जिला प्रशासन राजस्व स्थापना जिला रायगढ़ के अंतर्गत भृत्य चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी तौर पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है। परिवीक्षा अवधि समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाएगा तथा उसका वेतन भृत्य के पद पर लागू समयमान वेतन का न्यूनतम नियत किया जाएगा एवं उस समय-समय पर देय महंगाई भत्ता की पात्रता होगी तथा 3 वर्ष की परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

वर्ष 2016 से फरार स्थायी वारंटी को कोतरारोड पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायगढ़। थाना प्रभारी कोतरारोड़ उपनिरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में वर्ष 2016 के एक्सीडेंट मामले में चालान हुए आरोपी अंशु सिंह परिहार पिता कुंज बिहारी परिहार उम्र करीब 29 वर्ष निवासी थाना रामपुर बहलोन, जिला सतना (मध्य प्रदेश) हाल मुकाम जिंदल कॉलोनी परसदा रायगढ़ को आज कोतरारोड़ पुलिस स्थायी वारंट के परिपालन में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी/वारंटी अंशु परिहार के न्यायालय पेशी पर उपस्थित नहीं होने से माननीय जेएमएफसी रायगढ़ न्यायालय द्वारा आरोपी अंशु परिहार का स्थायी वारंट जारी किया गया था। वारंटी मध्यप्रदेश के सतना तथा रायगढ़ में लुकछिप कर रह रहा था जिसकी गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी कोतरारोड़ द्वारा मुखबीर लगाए हुए थे। आज किरोड़ीमल नगर क्षेत्र में वारंटी को देखे जाने की सूचना पर तत्काल थाना कोतरारोड़ से स्टाफ दबिश देकर वारंटी को हिरासत में लिया गया जिसे जेएमएफसी रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया है। वारंटी पतासाजी, गिरफ्तारी में कोतरारोड़ थाने की सहायक उपनिरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक करुणेश राय तथा आरक्षक संजीव पटेल की प्रमुख भूमिका रही है।

न्यायालय परिसर में मनाया गया बाल दिवस

रायगढ़। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव के निर्देशन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चक्रधर बाल सदन की बालिकाओं तथा चक्रधर हायर सेकेण्डरी स्कूल के बालक-बालिकाओं को न्यायालय का विजिट करवाया गया। जहां बच्चों को न्यायालय की कार्यवाही की सामान्य जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को न्यायालय के भ्रमण के पश्चात जिला न्यायालय के सभागार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ, जिला न्यायालय के सभी न्यायाधीशों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जहां सभी बच्चों को न्यायाधीशगण द्वारा बाल दिवस की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही बच्चों की न्यायालय एवं कानून संबंधी जिज्ञासाओं का न्यायाधीशों द्वारा समाधान किया गया। बच्चों ने बताया की उन्हें पहली बार न्यायालय को देखने जानने का अवसर मिला है।

राष्ट्रव्यापी कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के समापन पर निकली जागरूकता रैली

❒ **नशा उन्मूलन, भ्रूण हत्या, बच्चों की शिक्षा आदि विषयों पर नारे लगा कर लोगों को किया गया जागरूक**

रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान का जिला रायगढ़ तथा तहसीलों में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में समापन विभिन्न स्थानों में जागरूकता रैली द्वारा किया गया। रैली में नशा उन्मूलन, भ्रूण हत्या, बच्चों की शिक्षा आदि विषयों पर नारे लगा कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। उक्त अभियान में जिले के समस्त 774 ग्राम पंचायतों में जागरूकता शिविर के आयोजन के साथ घर-घर जाकर भी आमजनों को कानूनी जानकारी दे कर जागरूक किया गया। साथ ही हक हमारा भी तो है अभियान के अंतर्गत जेल में निरुद्ध बंदियों व बाल संप्रेक्षण गृह में विधि से संघर्षरत सभी बालकों के नालसा द्वारा प्रदत्त फॉर्म गठित टीम द्वारा भरकर उन्हे उनके प्रकरणों की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान जागरूकता शिविर के अतिरिक्त नालसा की स्कीम पर आधारित विभिन्न गतिविधियों, मेगा कैंप तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। जिला न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव द्वारा अभियान के दौरान स्वयं जिला जेल एवं बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया गया। जिले में उनके निर्देशन में गठित पैरा लीगल वॉलिंटियर संतोष सिदार, नन्दकुमार चौहान, विश्राम सिंह सिदार, हरीश षडंगी, गायत्री खटकर, नारद प्रसाद, मुक्ता यादव, मौसमी शर्मा, शुभम बेहरा, प्रमोद कुमार, रामअवतार तथा पैनल अधिवक्ता की टीम सुश्री शकुंतला चौहान, सुश्री हेमा देवी भट्ट, बिहारी लाल जांगड़े का अभियान को सफल बनाने का कार्य सराहनीय रहा।

कलेक्टर ने खनिज के अवैध परिवहन पर सख्त कार्यवाही के दिए हैं निर्देश

❒ **खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को जांच के लिए किया निर्देशित**

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू ने जिले में अवैध खनिज परिवहन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश एसडीएम और खनिज अधिकारी को दिए है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम लगातार फील्ड पर मौजूद रहकर जांच करें। खनिज परिवहन के लिए पर्ची की भी नियमित जांच की जाए और अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। इसके लिए उन्होंने रायगढ़ जिले की सीमा में जांच बेरियर स्थापित कर टीम को तैनात करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन में लगे वाहनों की जानकारी रजिस्टर में संधारित की जाए। इसमें यदि वाहन एक से अधिक बार परिवहन कर रहा है तो उसके पास वैध पर्ची हो और उसका विस्तृत ब्यौरा भी रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

यदि वाहन द्वारा बिना पर्ची के या अवैध रूप से खनिज का परिवहन किया जा रहा है तो उस पर कार्यवाही की जाए। कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए माइनिंग ऑफिसर योगेंद्र सिंह ने बताया कि खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा नियमित रुप से खनिज परिवहन की जांच आज से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके लिए खनिज विभाग से सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई जा रही है। राजस्व का अमला भी वहां मौजूद रहेगा।

अवैध शराब पर जूटमिल पुलिस की लगातार तीसरे दिन कार्यवाई

❒ **महुआ शराब परिवहन करते पकड़ा गया आदतन बदमाश मार्शल यादव**

❒ **आरोपी से 10 लीटर महुआ शराब जब्त, जूटमिल पुलिस की कार्यवाही में गया जेल**

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा-निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर साइबर सेल/चौकी प्रभारी जूटमिल उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा लगातार अवैध शराब पर मुखबिर लगाकर कार्यवाही की जा रही है। अवैध शराब पर कार्रवाई के तीसरे दिन आज दिनांक 14.11.2022 को अपराध विवेचना टाउन भ्रमण दौरान चौकी प्रभारी जूटमिल द्वारा मुखबीर सूचना पर मिट्ठुमुड़ा की ओर से पैदल झोला में महुआ शराब लेकर आ रहे आरोपी मार्शल यादव पिता धन सिंह यादव उम्र 24 वर्ष निवासी मिट्ठुमुड़ा चौकी जूटमिल को पकड़ा गया, चौकी प्रभारी को मुखबीर द्वारा आरोपी मार्शल यादव को अवैध बिक्री के लिए शराब लेकर आने की सूचना दिया गया था। आरोपी से झोला में रखा हुआ 10 लीटर महुआ शराब कीमती 1,000 रूपये का विधिवत जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है, जहां से उसे जेल वारंट पर जूटमिल पुलिस द्वारा जेल दाखिल किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल, आरक्षक बनारसी सिदार, धर्नुजय चंद बेहरा की अहम भूमिका रही है। आरोपी मार्शल यादव आदतन बदमाश है आरोपी को विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट, चोरी, लूट के अपराधों में चालान किया गया है। आरोपी पर विशेष निगाह रखने चौकी प्रभारी द्वारा मुखबिर तैनात किये थे, जिसमें उसे शराब परिवहन करते पकड़ा गया है।

शादी का प्रलोभन देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाला युवक गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 13.11.2022 को थाना चक्रधरनगर में युवती द्वारा ग्राम भगोरा के विकास गुप्ता द्वारा शादी का प्रलोभन देकर पिछले 5-6 वर्षों से शारीरिक शोषण करने का लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पीड़ित युवती अपने आवेदन तथा महिला पुलिस अधिकारी को दिए बयान में बताई कि कॉलेज में पढ़ने के दौरान विकास गुप्ता से परिचय हुआ था। विकास गुप्ता शादी करूंगा कहकर मेलजोल बढ़ाया और पहली बार नवंबर 2017 में अपने परिजनों से मिलने बहाने उसके गांव ले गया, जहां गांव के पहले जंगल में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद से कई बार विकास शारीरिक संबंध बनाया जिसे कई बार शादी के लिए कहने पर टालमटोल कर देता था। 07 नवंबर को विकास फिर अपने घर शादी की बात करने साथ ले गया और रास्ते में शारीरिक संबंध बनाया फिर घर ले जाने से मना कर गाली, गलौज मारपीट किया और जंगल में छोड़कर चला गया। सवेरे उसके घर जाकर उसके पिता राम भूषण गुप्ता और बड़े भाई मुकेश गुप्ता को उसके भाई विकास गुप्ता की करतूत बताई तो वे विकास को घर से भगा दिये और विकास से शादी नहीं करेंगे कहकर गाली-गलौच कर धमकी देकर भगा दिये। पीड़ित युवती द्वारा थाना चक्रधरनगर में घटना को लेकर आवेदन दिए जाने पर अपराध दर्ज कर दुष्कर्म के आरोप में विकास गुप्ता (22 साल) तथा उसके पिता राम भूषण गुप्ता (47 साल) और बड़े भाई मुकेश गुप्ता (25 साल) को विकास गुप्ता को भगाने की साजिश रचने और युवती को धमकी देने के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व सीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रवीण मिंज, उप निरीक्षक संतरा चौहान एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

बालिका से छेड़खानी की शिकायत पर चौकी प्रभारी खरसिया ने की त्वरित कार्यवाही

❒ **महज कुछ घंटों के भीतर आरोपी को छेड़खानी व पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर**

रायगढ़। पुलिस चौकी खरसिया में स्थानीय महिला आकर उसकी नाबालिग बालिका से धीरज अग्रवाल (उम्र 32 साल) द्वारा गंदी नियत से छेड़खानी करने की लिखित शिकायत लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। रिपोर्टकर्ता बताई कि कल सुबह अपने परिचितों के पास गई थी, घर में बच्चे थे। बच्ची कॉल कर घर जल्दी आने बोली, रात को घर पहुंचने पर बच्ची धीरज अग्रवाल द्वारा गंदी नियत से अश्लील हरकतें छेड़खानी करना बताई। महिला परिवार में सलाहकर आज सुबह करीब 11:00 बजे घटना की लिखित आवेदन देकर धीरज अग्रवाल पर कार्यवाही के लिए आवेदन दिया गया।

चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक अमिताभ खांडेकर द्वारा संवेदनशील जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा तथा एसडीओपी खरसिया निमिषा पाण्डेय को मामले से अवगत कराते हुए उनके दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन पर गंभीरतापूर्वक त्वरित कार्यवाही करते हुए अपने स्टाफ के साथ आरोपी पतासाजी के लिए आरोपी के ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया जिसे अपराध दर्ज के महज 3 घंटे के भीतर आज दोपहर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी की कार्यवाही में चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक अमिताभ खांडेकर के साथ आरक्षक सोहन यादव, साविल चंद्रा और कीर्ति सिदार की प्रमुख भूमिका रही है।

वन विभाग द्वारा भेंगारी में आवंटित वन अधिकार पत्रों की जांच जारी

रायगढ़। राज्य के वनमंडल रायगढ़ अंतर्गत वन परिक्षेत्र घरघोड़ा के सर्किल नवापारा स्थित संरक्षित वनखंड चारमार से लगा प्रस्तावित नारंगी वनखंड बागबहार का मौका निरीक्षण 12 नवम्बर को किया गया। प्रस्तावित नारंगी वनखंड बागबहार जो ग्राम भेंगारी पटवारी हल्का नम्बर के 17 खसरा मिलाकर कुल रकबा 34.961 हेक्टेयर को लेकर बनाया गया है। उक्त 17 खसरा में से 13.08 हेक्टेयर भूमि बड़े झाड़ मद की शासकीय राजस्व वन भूमि है, जिसमें विभिन्न लोगों को वनअधिकार पत्र जारी हुआ है। वन परिक्षेत्र अधिकारी घरघोड़ा द्वारा 11 नवम्बर को उक्त प्रकरण का सर्वे कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत मौके पर किसी भी प्रकार से ना वन अधिकार पट्टा धारकों का जोताई-कोड़ाई और ना ही कब्जा किया जा रहा हैं। इस तारतम्य में तहसीलदार घरघोड़ा द्वारा भी जांच कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन सौंपा गया है, जिसके अनुसार प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया वहां 21 व्यक्तियों को वनअधिकार पत्र दिया गया है, वे बिना कब्जा काश्त के है। वनमंडल अधिकारी रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए वन अधिकार पत्र धारकों से उनके वन अधिकार पत्र की प्रति जप्त कर विस्तृत जांच की जा रही हैं।

गस्त दौरान जूटमिल क्षेत्र में अकेली घूमते दिखी पुसौर क्षेत्र की युवती

❒ **युवती की मानसिक स्थिति थी कमजोर, चौकी प्रभारी जूटमिल ने युवती के परिजनों को बुलाकर किया सुपुर्द**

रायगढ़। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रायगढ़ पुलिस बेहद सजग है जो एक बार फिर देखने को मिला। कल रात्रि गस्त दौरान सायबर सेल/चौकी प्रभारी जूटमिल कमल किशोर पटेल को गोगाराईस मिल के पास रहने वाली महिला मोबाइल पर सूचना दी कि चौंक पर एक 20-25 साल की लड़की अकेली घूम रही है जो आसपास मोहल्ले की नहीं लगती और जिसे पहले कभी नहीं देखे हैं। तत्काल चौकी प्रभारी अपने स्टाफ को तस्दीक के लिये गोगाराईस मिल चौंक के पास भेजें, जहां ठंड में कांप रही युवती गस्त कर रहे पुलिसकर्मियों को मिली। काफी पूछताछ पर युवती पुसौर थानाक्षेत्र के एक गांव का नाम बताई। रात्रि करीब 2 बजे गांव के सरपंच को फोन कर चौकी प्रभारी युवती के संबंध में जानकारी देकर पूछताछ किये , सरपंच युवती को गांव की होना तथा उसका मानसिक स्थि ति कुछ दिनों से सामान्य नहीं होना बताये। चौकी प्रभारी द्वारा युवती के परिजनों को सूचना देने कहा गया। युवती के परिजन चौकी प्रभारी से संपर्क कर युवती को लेने आना बताये। युवती के भाभी के चौकी आने पर युवती उनके सुपुर्द किया गया।

गैप एनालिसिस एवं आउट ऑफ स्कूल संबंधी विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

रायगढ़। शिक्षा में गैप एनालिसिस एक बच्चे की सीखने की उपलब्धियों और उनकी शिक्षा के किसी भी स्तर पर उन्हें कहां होना चाहिए के बीच के अंतर का आंकलन करने के विषय में है जिसे लर्निंग गैप के रूप में जाना जाता है। एक बार जब आप एक सीखने के अंतराल के पहचान कर लेते हैं तो आप उपायों को लागू करने के लिए गैप एनालिसिस टेंप्लेट का उपयोग कर सकते हैं जो बच्चों को उस जगह तक पहुंचने में मदद करता है जहां उसे होना चाहिए। इसी तारतम्य में बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा में जोडऩे हेतु रायगढ़ में शासन के अभिनव प्रयास गैप एनालिसिस एवं आउट ऑफ स्कूल विषय पर चार दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन 9 से 12 नवम्बर 2022 तक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ललित रायगढ़ में विकास खंड शिक्षा अधिकारी जी.आर. जाटवर एवं विकासखंड स्रोत समन्वयक मनोज अग्रवाल विकासखंड रायगढ़ के निर्देशन में सुश्री नीलम लकडा बीआरपी बरमकेला व सुमित्रा चंद्रा बीआरपी विकासखंड रायगढ़ द्वारा विकासखंड रायगढ़ में चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में दिव्यांगता के संबंध में विस्तृत चर्चा कर गतिविधि के माध्यम से 21 प्रकार के दिव्यांगता से होने वाले असुविधा को समझाया गया साथ ही उनको शासन से मिलने वाली सुविधाओं को विस्तृत रूप से बताया गया। ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं, उन्हें पुन: शाला में जोडऩे हेतु यह प्रयास कारगर साबित होगा। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण सामग्री व भोजन की व्यवस्था में सहयोग सतीश गौतम लेखापाल व हेमा चौहान प्रधान पाठिका शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ललित रायगढ़ तथा प्रशिक्षण संचालन में विशेष सहयोग सुशील चौहान सीएसी तिलगा का रहा। इसी आशा के साथ कि प्रशिक्षण का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचाने में शिक्षकों की सहभागिता पूर्ण रूप से हो शुभकामनाओं सहित प्रशिक्षण समाप्त किया गया।

विकलांग व विधवा पेंशन के आवेदनों का शीघ्र करें निराकरण -कलेक्टर

❒ **कलेक्टर जनदर्शन में मांगों एवं शिकायतों से संबंधी आवेदन लेकर आए हितग्राही**

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम ने आज कलेक्ट्रेट में जनदर्शन के माध्यम से लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने प्राप्त आवेदनों के आधार पर सभी संबंधित विभागों को समस्याओं का त्वरित निराकरण कर अवगत कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर जनदर्शन में बुजुर्ग महिला सरस्वती देवांगन एवं बुधनी बाई विधवा पेंशन दिलाए जाने के संबंध में आवेदन लेकर आयी थी। उनका कहना था वे विधवा पेंशन के लिए कई बार आवेदन दे चुकी है लेकिन आज तक नहीं बन पाया है। कलेक्टर डॉ.आलम ने संबंधित विभाग को उनके आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी तरह जनपद पंचायत बरमकेला के ग्राम-मोहदी पारा की निकिता प्रधान विकलांग पेंशन के लिए आवेदन लेकर आयी थी। उन्होंने बताया कि वे दोनों आंख से देख नहीं पाती है। इसलिए उसे कहीं कामकाज करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने इस संबंध में कई बार आवेदन भी कर चुकी है। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि विकलांग पेंशन मिल जाने से उनके जीवन-यापन में आसानी होगी। कलेक्टर डॉ.आलम ने सीईओ बरमकेला को उनके आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए विकलांग पेंशन दिलाने के निर्देश दिए। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर डॉ.आलम ने विधवा एवं विकलांग पेंशन के आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभाग प्रमुख को दिए, साथ ही यह भी कहा कि मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी प्रकार की देरी न करें।

सारंगढ़ के ग्राम-रेंजरपारा की प्रार्थियां चमेली नजूल भूमि का पट्टा दिलाये जाने के संबंध में आवेदन लेकर आयी थी। उन्होंने बताया कि वे नजूल भूमि पर बरसो से निवास करती आ रही है। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार राशि भी जमा कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पट्टा प्राप्त नहीं हो पाया है। उन्होंने कलेक्टर से शीघ्र पट्टा दिलाये जाने की मांग की। कलेक्टर डॉ.आलम ने संबंधित अधिकारी को उक्त आवेदन पर जांच करते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए।

विकासखण्ड बरमकेला ग्राम-मोहंदी, ग्राम पंचायत सांकरा के ग्रामवासी अपने गांव में पक्की सड़क बनाये जाने की मांग को लेकर कलेक्टर से मिलने आये थे। उन्होंने कहा गांव में पक्की सड़क नहीं होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है। साथ ही बच्चों को स्कूल आने-जाने एवं कई बार मरीजों को अस्पताल भी ले जाने में परेशानी होती रहती है। ग्राम पंचायत खर्री, सारंगढ़ में पंचायत की वित्त राशि के आहरण में गड़बड़ी के संबंध में सीईओ सारंगढ़ को जांच के निर्देश दिए। इसी तरह कलेक्टर जनदर्शन में विभिन्न पंचायतों से लोग अपनी शिकायतों व समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए थे। कलेक्टर डॉ.आलम ने सभी आवेदकों से मिलकर उनकी बातें सुनी तथा अधिकारियों को जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण कर उन्हें तथा आवेदकों को सूचित करने के निर्देश दिए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480